# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम(अलवर)

प्रार्थना पत्र संख्याः–207/18

मुकेश बनाम सुभाष

14.08.2018

प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 आर.टी.एक्ट. के तहत [illegible] किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं स[illegible] दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थी का केस प्राईमाफेसाई, सुविधा का सन्तुलन एव ना[illegible] होने वाली क्षति की सम्भावना प्रार्थी के हक मे प्रतीत होती है।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण आगामी पेशी दिनांक 10/09/18 तक इस अमर से जारी की जाती है कि वो प्रार्थी की आराजी हाल खसरा 402/115 रकबा 0.14 बिस्वा वाके ग्राम आलमपुर तह0 कोटकासिम जिला अलवर की मौका एवं रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखे, किसी भी विभाग द्वारा की जाने वाली किसी भी विधिवत कार्यवाही के सम्बन्ध मे उक्त स्थगन स्वतः निरस्त समझा जावे। जो भी उज्र हो हाजिर अदालत होकर पेश करे। अप्रार्थीगण को जर्ये आरएडी तलबाने से तलब किया जावे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 10/09/18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

10/9/18 [illegible] फरीकेन [illegible] श्रीमान P.O. [illegible] [illegible] राज कार्य [illegible] है। आयन्दा पत्रावली दिनांक 24.12.18 को उनके समक्ष पेश हो।

रीडर

24/12/18 [illegible] फरीकेन उप./श्रीमान P.O. सहा[illegible] [illegible] राज कार्य मे व्यस्त है। आयन्दा पत्रावली दिनांक 18.3.19 को उनके समक्ष पेश हो।

18/3/19 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं। प्रार्थी व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति के प्रार्थना पत्र अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] होकर नम्बर से खारिज [illegible] बाद तकमील संकलन बाद हो।